**संख्या 57 /2017/1271/ सात-न्याय -9(बजट)-2017-1 रिट/2015**

प्रेषक,

रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

**न्याय अनुभाग-9 बजट** **लखनऊ दिनांक 13 जून,2017**

**विषय- रिट याचिका (पी0आई0एल0) सं0-99/2015 प्रद्युम्न विष्ट बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-03-2017 के अनुपालन में जनपद न्यायालय गाजियाबाद के न्यायालय कक्षों के अन्दर सी0सी0टीवी कैमरा की स्थापना हेतु धनराशि कीस्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका (पी0आई0एल0) सं0-99/2015 प्रद्युम्न विष्ट बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-03-2017 के अनुपालन में जनपद न्यायालय गाजियाबाद के न्यायालय कक्षों के अन्दर सी0सी0टीवी कैमरा की स्थापना हेतु आगणन **रू0318.81 लाख** पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने के साथ-साथ **रू0 318.81 लाख (रू0 तीन करोड़ अटठारह लाख इक्यासी हजार मात्र)** की धनराशि स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है:-

1 चूंकि प्रश्नगत कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 कार्यदायी संस्था नामित है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, को उपलब्ध कराने हेतु महानिबन्धक मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अधिकृत किया जाता है ।

2 धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक कर लिया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि बैंक खाता तथा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी ।

3 प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति जिस कार्य हेतु प्रदान की जा रही है, उसी कार्य में धनराशि व्यय की जायेगी ।

4 धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा ।

5 प्रशनगत कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित किया जायेगा ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

6 स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के सुसंगत प्राविधानों तथा समय समय पर इस सम्बन्ध में वित्त विभाग एवं लघु उद्योग विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

7 प्रायोजना प्रस्ताव का गठन बाजार दर/न्यूनतम निविदा के आधार पर किया गया है । अत: प्रायोजना में प्रस्तावित प्रोपराइटरी सम्बन्धी कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित कराया जायेगा एवं इन मदों पर वास्तविक व्यय ही देय होगा,जिसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

8 प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यो की लागत न्यूनतम निविदा के आधार पर प्रस्तावित की गयी है । प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यमदें प्रोपराइटरी किस्म की है, जिनके नेक माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वभाविक है । अत: इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें इस कार्य से सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों को भी रखा जायेगा । यह समिति प्रायोजना में प्रसतावित कार्यो की गुणवत्ता एवं लागत के सम्बन्ध में मत स्थिर करेगी तथा इस समिति की देख रेख में प्रश्नगत कार्यो को कराया जायेगा ताकि कार्यो की गुणवत्ता बनी रहें ।

9 प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार एवं क्षेत्रफल में वृद्धि एवं उच्च विशिष्टियॉं इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

10 प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा । उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजानाओं में पुनरावृत्ति/ द्विरावृत्ति न हो इसे अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा ।

11 प्रश्नगत उपकरणों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों/ सुसंगत शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन करते हुए किया जायेगा । किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी स्वयं उत्तरदायी होगी ।

12 निर्माण एजेन्सी द्वारा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर धनराशि का व्यय किया जायेगा, यदि उसके उपरान्त कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

13 लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा ।

14 प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सम्बन्धित द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इन कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3-	इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनेतर- 01-कार्यालय भवन-052-मशीनरी तथा उपस्कर - 03- अधीनस्थ न्यायालय की सुरक्षा हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण - 26- मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र, के नामे डाला जायेगा।

4-	यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/ बी-1-02/दस-2017 231/2017, दिनांक 02 जनवरी,2017 तथा सं0-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017,दिनांक 20 मार्च,2017 में निहित निर्देशों के अनुसार दी जा रही हैं ।

भवदीय,

(रंगनाथ पाण्डेय)
प्रमुख सचिव

**<u>सं0- 57 /2017/1271(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2017 तददिनांक</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।
4- जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- निजी सचिव मा0 अध्यक्ष अवस्थापना मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, सिविल लाइन इन्दिरा भवन, इलाहाबाद ।
8- कोषाधिकारी, गाजियाबाद उ0प्र0 ।
9- वित्त ई- 12 / सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in